न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 134 वर्ष 2022

दानदाता(आवेदक)–शंकर मॉझी
ग्राम – पुटकाडीह टोला भेलवाटॉड
थाना – पेटरवार जिला–बोकारो

दानग्रहिता– दिलीप मरांडी
ग्राम– पुटकाडीह टोला भेलवाटॉड
थाना –पेटरवार जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03

17/05/23

आदेश

यह वाद दानदाता (आवेदक) शंकर मॉझी पिता स्व0 सोहराय मॉझी निवासी ग्राम पुटकाडीह टोला भेलवाटॉड थाना पेटरवार जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
पुटकाडीह	37	14	123	75 डी0	06 डी0	आ0 योग्य

को वे अपने बेटे दिलीप मरांडी पिता शंकर मॉझी निवासी ग्राम पुटकाडीह टोला भेलवाटॉड थाना पेटरवार जिला– बोकारो के साथ दान करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1110/रा0 दिनांक 25.11.2022 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

C.C. Issued 22/05/23

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की दान करने की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 396 दिनांक 21.04.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. दानकर्ता एवं दानग्रहिता दोनो संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति अंतर्गत आते हैं। दानकर्ता एवं दानग्रहिता दोनों ग्राम पुटकाडीह टोला भेलवाटॉड एवं दोनो थाना–पेटरवार जिला–बोकारो का निवासी है।
02. दान की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में बढा मॉझी पिता दुर्गा मॉझी के नाम से दर्ज है तथा जमाबंदी राघु मॉझी वगैरह पिता बाढा मॉझी के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 1/14में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2007–08 तक निर्गत है। दानकर्ता को यह भूमि खतियान द्वारा हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से दानकर्ता का परदादा–पोता का संबंध है। दान वाली भूमि दानकर्ता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर दानकर्ता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा दानकर्ता को प्रस्तावित भूमि की दान करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। दानकर्ता द्वारा अपने

ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज बाढा मॉझी के नाम से सर्वेखतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी राघु मॉझी वगैरह पिता बाढा मॉझी के नाम से चल रही है। दानवाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

दानग्रहिता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. दानकर्ता– बाढा मॉझी के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, बाढा मॉझी के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. दानग्रहिता– जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि दानकर्ता एवं दानग्रहिता दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा वे दोनों एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि दानकर्ता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे दान देना चाहते हैं।

अतः दानदाता (आवेदक) शंकर मॉझी पिता स्व0 सोहराय मॉझी निवासी ग्राम पुटकाडीह टोला भेलवाटॉड थाना पेटरवार जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
पुटकाडीह	14	123	75 डी0	06 डी0	विधान मॉझी	रास्ता	नीज	प्लॉट नं0 123 हिस्सेदार सिद्रेश्वर मॉझी
कुल 06 (छः) डिसमिल जमीन मात्र।								

क्रेता– दानग्रहिता– दिलीप मरांडी पिता शंकर मॉझी निवासी ग्राम पुटकाडीह टोला भेलवाटॉड थाना पेटरवार जिला–बोकारो के साथ दान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.04 12:26:45 +05:30
Location: 192.168.202.43